उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – 07/2017

कैलाश मांझी वगै0 बनाम ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

29-11-2017

– :: आदेश :: –

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एंव उसमें संलग्न कागजातों का अविलोकन किया। आवेदक कैलाश मांझी, पिता–स्व0 बढ़न मांझी वो सुरज लाल मांझी, पिता–स्व0 झोपड़ मांझी दोनो का साकिन ग्राम– केरीबंदा, पो0–हेसागढ़ा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे वर्णित भूमि को पट्टा (लीज) पर देने की अनुमति आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संबंधित अंचल कार्यालय, माण्डू से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दायर आवेदन में अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा)(एकड़)
केरीबन्दा	माण्डू/124	04	67	3.73 एकड़
		03	70	1.22 एकड़
कुल रकबा				4.95 एकड़

अंचल अधिकारी, माण्डू का पत्रांक 1550 (क) दिनांक 27.11.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा पट्टा (लीज) पर देने की अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में ठाकुर मांझी कौम सौंताल के नाम से रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबंदी खतियानी रैयत ठाकुर मांझी के नाम से कायम है। आवेदकगण खतियानी रैयत एवं जमाबंदी रैयत के वंशज है। खतियानी रैयत का वंशवृक्ष ग्राम में जाकर ग्रामसभा आयोजन कर बनाया गया है, जिसकी प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत के वंशज बढ़न मांझी ने अपने पुत्र कैलाश मांझी को मुख्तारनामा (Power Of Attorney) संख्या 796/16–11–17 द्वारा ग्राम केरीबंदा के खाता संख्या 4, प्लॉट संख्या 67, रकवा 1.44 एकड़ एवं खाता

संख्या 3 प्लॉट संख्या 70, रकवा 0.61 एकड़ कुल रकवा 2.05 एकड़ भूमि ओ0एन0जी0सी0 के साथ एकरारनामा कर लीज की राशि को प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया है। साथ ही यह भी जाँच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत ठाकुर मांझी के वंश वृक्ष के अनुसार आवेदक बढ़न मांझी (Power Of Attorney Holder कैलाश मांझी) के हिस्से में 5.36 एकड़ भूमि होता है। इसमें से 2.05 एकड़ भूमि ओ0एन0जी0सी0 को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु लीज में देना चाहते है। लीज में भूमि देने के पश्चात आवेदक के पास 3.31 एकड़ भूमि बचती है।

अचंल अधिकारी, माण्डू द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वंशवृक्ष के अनुसार आवेदक सुरजलाल मांझी के हिस्से में $8.93\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि आता है, ओ0एन0जी0सी0 को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु 2.05 एकड़ भूमि लीज पर देना चाहते है। उक्त भूमि हस्तानान्तरण के पश्चात $6.03\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि आवेदन के पास बचती है।

अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे वर्णित भूमि को पट्टा (लीज) में देने हेतु अनुशंसा की गई है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा	थाना / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा अनुशंसित भूमि रकवा) एकड़ में
केरीबन्दा	**माण्डू / 124**	**04**	**67**	**4.10 एकड़ (चार एकड़ दस डिसमिल)**
		03	**70**	

अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु पट्टा (लीज) में 12 (बारह) वर्षो की अवधि के लिए प्रश्नगत भूमि मौजा केरीबन्दा, थाना–माण्डू, थाना नं0–124, खाता संख्या 03, 04, प्लॉट संख्या 70, 67, कुल जमा रकबा रकवा 4.10 एकड़ (चार एकड़ दस डिसमिल) भूमि हस्तातंरण करने की अनुमति निम्नाकिंत शर्तो पर दी जाती हैः–

1. – छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 किसी भी कारण से या कोल बेड मीथेन के दोहन कार्य का उद्वेश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तातंरित करेंगे और न ही पट्टे पर देगें। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नही हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2\. – छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा'–49(3) के आलोक में बिक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा।

3\. – छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा'–49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मुल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तानांतरण नही होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नही होगा।

4\. – छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा'–49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

5\. – क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

6\. – सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

7\. – अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तो के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एंव संशोधित।

29/11/17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

29/11/17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।